

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी

रैणी
मुकाम

कन्हैया वगैरे

भूलीदेवी वगैरे

नं.....सन्.....


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वकील पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जयें अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा नं0 1648/0.40 कुल कित्ता 1 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम उकेरी तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है, से प्रार्थीगण को आराजी से जबरन बेदखल नही करे। ना ही कुल कार्य कांश्त में व्यवधान उत्पन्न करे। एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इत्यादि। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, शपथपत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी के इन्द्राज से प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी को नापूर्ति क्षति होने का अंदेशा है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 07.02.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएँ रखे। अप्रार्थीगण को जयें रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध में उन्हे कोई एतराज हो तो दिनांक 07.02.2022 को न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज रजिस्टर हो।


उपरखण्ड अधिकारी रैणी
रैणी जिला अलवर

24/01/22

काल मय पत्रावली भूलावद के साथ पेश हुई। पार्थीगण उपस्थित। भूलावद का आपसी महमारे से निगरान हो जाई। भूलावद का निगरान हो जाने से धारा 212 RT Act का कोई कौन्सिल नही रहता है।

उक्त प्रार्थना पत्र 212 RT Act की कार्यवाही सॉफ भी जाती है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर रजिस्ट्रार से रक भी जावे। मेलान भूलावद हो।

अपराधी

कन्हैया

अपराधी

कन्हैया